यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नैनीताल** के माह 04/2014 से 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार तथा देवेन्द्र दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री दया शंकर वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17.10.2016 से 27.10.2016 तक श्री दनिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ए.के. श्रीवास्तव एवं श्री कुलदीप कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 20.06.2014 से 28.06.2014 तक श्री बी.डी. सिंह लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2010 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2014 से 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (I) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान नैनीताल का मुख्य कार्यकलाप जनहित में जलापूर्ति व्यवस्था जलोत्सारण व्यवस्था बनाए रखना।

(ब) इकाई के अंतर्गत 03 नगरीय, 01 जलोत्सारण तथा 26 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण किया जाता है।

(स) अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, नैनीताल एवं इकाई द्वारा संचालित योजनाओं का भौगोलिक क्षेत्र पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में स्थित है।

(II) (अ) विगत तीन वर्षों के बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	6.950	10.30	561.588	581.729	698.293	496.553		198.849
2015-16	-13.191	212.04	623.949	611.058	659.625	359.067		512.298
2016-17 (Upto Sep. 2016)	-0.30	512.598	334.870	322.870	373.250	258.450		639.639

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17 (Upto Sep. 2016)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(III) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्रोत जिला योजना, राज्य योजना तथा दैवीय आपदा से प्राप्त होते है।

विभाग के संगठनात्मक ढांचे की स्थिति सलंग्न है।

(IV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः- लेखापरीक्षा में उत्तराखण्ड जल संस्थान, नैनीताल (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नैनीताल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 05/2014 एवं 08/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। जिला योजना एवं दैवीय के मरम्मत कार्य का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 14, लेखा तथा लेखपरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (अ)

(इस भाग के नियमितता से संबंधित मानले/विशिष्ट विषयों के मामलें एवं औचित्य से संबंधित महत्वपूर्ण निष्कर्ष सम्मिलित किये जांय)

1- विभाग द्वारा कार्यों के सापेक्ष ` 20.29 लाख का अधिक धनराशि प्रतिशत प्रभार के रूप में लिया जाना।

भाग-दो (ब)

(इस भाग में नियमितता तथा औचित्य दोनों से संबंधित प्रासंगिक लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित होंगे। यदि सम्भव हो, तो लेखापरीक्षा निष्कर्षों को उनके महत्व तथा विशिष्टता के आधार पर घटते क्रम में बनाया जाय।)

1- विभागीय उदासीनता के अभाव में धनराशि ` 12.97 लाख की धनराशि अव्यतीत रहना।

2- अनुश्रवण अभाव के कारण ` 26.05 लाख के अग्रिमों का समायोजन न किया जाना।

3- ` 57.912 लाख की राजस्व की वसूली लम्बित रहना।

भाग-तीन

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या
30/2010-11	1	1,2,3
72/2014-15	शून्य	1,2

(इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा दल द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या निम्न प्रारूप में दो प्रतियों में प्राप्त कर अपनी टीका सहित भाग-III के नीचे लगाकर निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ मूल रूप में संलग्न कर मुख्यालय को प्रेषित की जाय। मुख्यालय पर संबंधित क्षेत्र द्वारा अनुपालन आख्या विचारोपरान्त वर्गाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करते समय निस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में से हटा दिया जाय। मात्र अनिस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में रखा जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर सं. लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
----------	----------	---अप्रस्तुत----	----------	----------

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये है, उनका वर्णन किया जाय)

भाग-V

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नैनीताल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

(I) **अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या**

3. सतत् अनियमितताएः-

(I) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्र.सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1.	ई. जगदीप चौधरी	अधिशासी अभियन्ता	04/2014 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (संबंधित क्षेत्र का नाम) को प्रेषित कर दी जांय)

भाग-दो(अ)

प्रस्तर-1- विभाग द्वारा कार्यों के सापेक्ष ` 20.29 लाख का अधिक धनराशि प्रतिशत प्रभार के रूप में लिया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश द्वारा कार्यदायी संस्थाओं द्वारा डिपाजिट आधार पर किए जाने वाले निर्माण कार्यों एवं साज-सज्जा विषयक सेंटेज प्रभार का निर्धारण किया गया था। उक्त आदेशानुसार ` एक करोड़ तक के कार्य हेतु लागत का 10% की दर से, ` एक करोड़ से पाँच करोड़ तक के कार्य पर लागत का 09% की दर से तथा पाँच करोड़ से अधिक के कार्य पर 08% की दर से प्रतिशत प्रभार (Centage Charges) की पुनरीक्षित दरें निर्धारित की गयी थी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान नैनीताल के अवधि 04/2014 से 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में (सितम्बर 2016) यह तथ्य प्रकाश में आया कि इकाई द्वारा मूल रूप से अनुरक्षण व मरम्मत का कार्य किया जाता है, इकाई द्वारा संपादित समस्त कार्यों के प्राक्कलन ` एक करोड़ की लागत से कम थे अतएव नियमानुसार लागत का 10% प्राभार (Centage Charges) लिया जाना चाहिए था परंतु इकाई द्वारा तैयार समस्त प्राक्कलन के सापेक्ष 12.50% प्रतिशत प्रभार (Centage Charges) अधिरोपित किया जा रहा था। जांच में पाया गया कि संप्रेक्षा अवधि 04/2014 से 09/2016 तक में इकाई द्वारा प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष जिला योजना के अंतर्गत ` 912.76 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिसमें मूल कार्य की लागत ` 811.34 लाख और प्रतिशत प्रभार हेतु ` 101.42 लाख की राशि निर्धारित थी, नियमतः 10% की दर से देय प्रतिशत प्रभार की राशि ` 81.13 लाख होती है, इस प्रकार इकाई द्वारा संप्रेक्षा अवधि में कराये गए कार्यों के सापेक्ष ` 20.29 लाख का अधिक धनराशि प्रतिशत प्रभार के रूप में ली गयी जो कि अनुचित था जो कि नियमों की अवहेलना थी। विवरण निम्नवत हैः-

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	**कार्यों की सं.**	**स्वीकृत लागत प्रतिशत प्रभार सहित**	**कार्य की मूल लागत**	**प्रतिशत @ 12.50%**	**नियमानुसार देय प्रभार @10%**	**आधिक्य की राशि 12.50% - 10%=**
2014-15	74	408.83	363.40	45.43	36.34	9.09
2015-16	89	381.73	339.32	42.41	33.93	8.48
2016-17 (सितम्बर 2016 तक)	20	122.20	108.62	13.58	10.86	2.72
योग		**912.76**	**811.34**	**101.42**	**81.13**	**20.29**

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि शाखा के पास उपलब्ध पूर्व शासनादेश की प्रति के अनुसार तैयार किए जा रहे प्राकलनों पर सैनटेज आरोपित किया जा रहा है। शासनादेश की जानकारी न होने के कारण कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी। प्रकरण को मुख्यालय देहरादून को अवगत कराते हुये निर्देश प्राप्त कर भविष्य में आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग के पास वर्ष 2008 के शासनादेश की प्रति न होने पर विभाग द्वारा लगातार कार्यों पर त्रुटिपूर्ण प्रतिशत प्रभार (Centage Charges) अधिक आरोपित किया जाना अनुचित था जिसकों विभाग द्वारा स्वीकार किया गया। अतः विभाग द्वारा कार्यों के सापेक्ष ` 20.29 लाख का अधिक धनराशि प्रतिशत प्रभार के रूप में लिए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- विभागीय उदासीनता के अभाव में धनराशि ` 12.97 लाख की धनराशि अव्यतीत रहना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर 514 के अनुसार कार्यपूर्ण होने के बाद कार्य के खाते शीघ्र बन्द कर दिये जाने चाहिए एवं प्रस्तर 624 के अनुसार पूर्ण किये जा चुके कार्यों की अव्यतीत धनराशि को वापस बन्द कर दिया जाना चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड, जल संस्थान नैनीताल के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जिला योजना के अंतर्गत इकाई द्वारा संपादित कार्यों में वर्ष 2014-15 में पूर्ण कार्यों के सापेक्ष ` 464753.00 की धनराशि व वर्ष 2015-16 में पूर्ण कार्यों के सापेक्ष ` 157289.00 की धनराशि कुल ` 12.97 लाख की धनराशि अव्यतीत थी, जिसे नियमतः जिलाधिकारी को समर्पित कर दिया जाना चाहिए था। जिससे कि जिलाधिकारी द्वारा जनपद के अन्य विकास कार्यों में उक्त राशि का उपयोग किया जा सकता। दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त भी अप्रयुक्त राशि समर्पित न किया जाना न केवल नियमों का उल्लंघन था अपितु विभागीय उदासीनता का परिचायक भी था।

उक्त के संबंध में में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि विभागीय कनिष्ठ अभियन्ताओं की देखरेख में कार्य संपादित किए जाते है कार्य के वास्तविक व्यय का भुगतान किया गया है जिसके कारण धनराशि की बचत हुई है। बचत की राशि ` 12.97 लाख के संबंध में उच्च अधिकारियों में निर्देश प्राप्त कर नियमानुसार यथा कार्यवाही की जायेगी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा दो वित्तीय की समाप्ति के उपरान्त भी अप्रयुक्त धनराशि को समर्पित किए जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अप्रयुक्त राशि समर्पित न किया जाना न केवल नियमों का उल्लंघन था अपितु विभागीय उदासीनता का

परिचायक भी था। अतः विभागीय उदासीनता के कारण धनराशि ` 12.97 लाख की धनराशि अव्यतीत रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- अनुश्रवण अभाव के कारण ` 26.05 लाख के अग्रिमों का समायोजन न किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रस्तर 292 के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रदान किये गए अग्रिम की वसूली/समायोजन नियत समय पर कर लिया जाना चाहिए। अग्रिमों का समायोजन न दिये जाने की स्थिति में दंडात्मक ब्याज भी लगाए जाने का वित्तीय नियमों में प्रावधान है।

विभाग के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा विभिन्न फार्मों से सामग्री के क्रय हेतु एवं विभिन्न कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं कर्मचारियों को अग्रिम धनराशि (10,74,898.67 + 21,089.72 + 5,53,517.36 + 6,099.50 + 9,49,788.28 = 26,05,393.53) प्रदान की गयी जिसे दो से पाँच वर्षों से अधिक का समय बीत जाने के पश्चात भी दिये गए अग्रिमों का समायोजन नहीं किया गया, इस प्रकार सम्प्रेक्षा अवधि तक कुल धनराशि ` 26,05,393.53 (संलग्न प्रारूप के अनुसार) का समायोजन किया जाना अभी शेष है। अतः उक्त राशियों को यथा शीघ्र समायोजित किया जाना चाहिए था, लेकिन विभाग द्वारा उक्त धनराशियों का समायोजन लेखापरीक्षा अवधि (अक्टूबर 2016) तक नहीं किया गया। जिसे कारण ` 26.05 लाख की धनराशि विभिन्न फार्मों एवं विभिन्न कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं कर्मचारियों के पास अभी तक असमायोजित पड़ी है। विभाग द्वारा दो से पाँच वर्षों से अधिक का समय बीत जाने के पश्चात भी दिये गए अग्रिमों का समायोजन न किया जाने से यह स्पष्ट होता है कि विभागीय अनुश्रवण

के अभाव में धनराशि का समायोजन न किया जाकर विभिन्न फार्मों/कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं कर्मचारियों को अप्रत्यक्ष रूप से धनराशि ` 26.05 लाख का लाभ पहुँचाया गया।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एंव आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि अग्रिमों के समायोजन हेतु कार्यवाही प्रगति पर है तथा संबंधित प्रकरण पर उच्च अधिकारियों से मार्ग दर्शन प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही अमल मैं लायी जायेगी। उक्त कर्मचारियों को दिये गए अग्रिमों के सापेक्ष एक कर्मचारी सेवानिवृत हो चुका है, 12 कर्मचारियों का स्थानांतरण हो चुका है तथा एक कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा पाँच वर्षों से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी उक्त अग्रिमों का समायोजन न किए जाने के परिणाम स्वरूप उसमें से एक कर्मचारी की मृत्यु हो गयी एवं एक सेवानिवृत हो चुका है, साथ ही 12 कर्मचारियों का स्थानांतरण अन्य शाखा में हो गया था इस प्रकार उनसे अग्रिमों का समायोजन न किया जाना विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव का परिचायक था।

अतः उदासीनता एवं अनुश्रवण अभाव के कारण ` 26.05 लाख के अग्रिमों का समायोजन न किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-3- ` 57.912 लाख की राजस्व की वसूली लम्बित रहना।

जल संस्थान का कार्य अपने प्राधिकार क्षेत्र में जल संयोजन, जल वितरण, सीवरेज की व्यवस्था करना है। जलापूर्ति, सीवरेज आदि की व्यवस्था के लिए जल संस्थान द्वारा शुल्क लिया जाता है। जिसका मापदंड भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार विभाग द्वारा निर्धारित किया जाता है। शुल्क की वसूली के लिए प्रतिवर्ष लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

उत्तराखण्ड जल संस्थान निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्रत्येक दशा में पूर्ण करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये थे और यह भी स्पष्ट निर्देश दिये गए कि लक्ष्य के अनुरूप वसूली न किए जाने की दशा में धनावंटन किया जाना संभव नही हो पायेगा।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नैनीताल के मांग एवं राजस्व वसूली नियंत्रण पंजिका (Demand and Collection Register) संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विगत वित्तीय वर्षों में बोर्ड द्वारा निर्धारित मांग के सापेक्ष राजस्व सग्रंह का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जो खण्ड द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका। विवरण निम्न हैः-

(धनराशि ` लाख में)

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**राजस्व प्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य**	**वर्ष के दौरान की गयी वसूली**	**लक्ष्य के सापेक्ष कम वसूली**
1	2013-14	631.00	613.827	17.173

2	2014-15	764.00	719.330	44.67
3	2015-16	811.712	815.643	-3.931
योग		**2206.712**	**2148.8**	**57.912**

इस प्रकार उक्त वर्षों में इकाई द्वारा निर्धारित लक्ष्य ` 2206.712 लाख के सापेक्ष मात्र ` 2148.80 लाख की ही राजस्व की वसूली की जा सकी एवं ` 57.912 लाख की वसूली नहीं की जा सकने से राजस्व की क्षति हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने अवगत कराया है कि विभाग द्वारा वसूली का शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किए जाने हेतु जल संयोजन विच्छेदन, भू-राजस्व द्वारा वसूली एवं नोटिस जारी किए गये और धनराशि वसूली न कर पाने के लिए शासकीय बजट का आवंटन न होना रहा है।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि एक तो उच्चाधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्षों में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वसूली हेतु पर्याप्त ठोस कदम नहीं उठाये गये हैं जिसके कारण विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी तथा विगत 03 वर्षों से लम्बित पड़ी राजस्व की वसूली नही की जा सकी है। जो विभागीय शिथिलता को इंगित करती है। अतः इकाई द्वारा ठोस कार्यवाही नहीं करने के फलस्वरूप ` 57.912 लाख राजस्व की वसूली लम्बित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-तीन</u>

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, नैनीताल** को इस आशय से प्रेषित की गयी कि उनकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा

अधिकारी

(सामाजिक क्षेत्र)